न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 04/2019 **जीसीएमएस मु.न. 2019**

अनवान

1. दीपाराम पुत्र वागाराम कौम कलबी, निवासी राजेश्वरपुरा, तहसील सांचौर जिला जालौर।

वादी.......

1. वागाराम पुत्र हरजी कौम कलबी, निवासी राजेवश्रपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
2. मावीदेवी पत्नी वागाराम कौम कलबी, निवासी राजश्वेरपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालौर

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 40,88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजुः— 15.01.2019

उपस्थिति :—

1. श्री सगताराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादीया संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी।
3. प्रतिवादीगण 1 बावजूद सूचना व अखबार में इस्तहार के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बाद तामिल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 29.07.2025

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 40, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता व प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की माता है जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम पुत्र हरजी करीब 25 वर्ष पुर्व गुम हो गये थे जिसको वादी ने करीब 5 वर्षों तक सम्पूर्ण भारत में खोजबिन की लेकिन उसका आज दिन तक कोई अता—पता नही है तथा न ही उनके बारे में किसी स्थान पर रहने के बारे में ही सुना है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 की सेवा चाकरी वादी ही करता आ रहा है वादी की पैतृक सम्पति के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 1.23 हेक्टर, 158 रकबा 4.78 हैक्टर, खसरा 349 रकबा 2. 97 हैक्टर, खसरा 356 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 9.13 हैक्टर के [illegible] हुये जो वादी के पैतृक सम्पति के खेत है लेकिन उक्त आराजी [illegible] के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वागा पुत्र हरजी के नाम होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागा (वादी के पिता) का विगत करीब 25 वर्षों से कोई अता—पता नही होने से वादी को [illegible] आराजी पर कृषि बीमा करवाने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य कृषि सम्बन्धि कागजाती कार्यवाही से वंचित रहना पड़ रहा है ऐसी सुरत में उक्त आराजी वादी की पैतृक सम्पति होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागा पुत्र हरजी (वादी के पिता) का कोई अता—पता नही होने से वादी अपने नाम की उद्घोषणा करवाने का विधि सम्मत अधिकारी होने से यह वाद श्रीमान की सेवामे पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

वादी ने चूंकि उपरोक्त आराजी पर कब्जा कास्त पीढी दर पीढी का ही चला आ रहा है वादी के पिता वागा के गुम होने पर वादी की ओर से करीब 5 वर्षो तक खोजबीन कर आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुका है गुमसुदा वादी के पिता के वादी एवं वादी की माता प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी ही वारीसान है जिनका ही मौके पर कब्जा कास्त है तथा प्रतिवादीया मावीदेवी भी अब काफी वृद्ध हो चुकी है उनकी सेवा चाकरी भी वादी ही करता आ रहा है। विनायवाद वादी की पैतृक सम्पति पर वादी का कब्जा कास्त पीढी दर पीढी होने से तथा वादग्रस्त आराजी का इन्द्राजात वादी के पिता के नाम होने से वादी ने हल्का पटवारी को दिनांक 30.07.2018 को वादी के नाम इन्द्राजात करने का निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने खातेदारी उद्घोषणा करवाकर निर्णय करवाने के बाद ही नामान्तरकरण किये जाने का कहा गया तब वादी की ओर से यह वाद श्रीमान की सेवामे प्रस्तुत किया जा रहा है वादी के नाम इन्द्राजात नही होने से विनायवाद निरन्तर जारी है। उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 1.23 हेक्टर, 158 रकबा 4.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 2.97 हैक्टर, खसरा 356 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 9.13 हेक्टर वादी की पैतृक सम्पति होने तथा वादी के पिता का विगत 25 वर्षो से कोई अता–पता नही होने से उपधारणा के प्रावधानो अनुसार वागा के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 को खातेदार घोषित की जावे। वागा पुत्र हरजी के स्थान पर वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को दिया जावें।

2. उक्त वाद दिनांक 15.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि मेरे पति करीब 31 वर्ष पुर्व गुम हो गये थे अभी तक उनका कहीं पर अता पता नहीं है तथा वादी के वाद अनुसार माफिक इस्तदुआ खातेदारी की डिक्री दी जावें। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम की तलवी अखबार में इस्तहार जारी करवाकर अखबार की छायाप्रति पेश की इसके बावजुद प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के वाद को प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं करने से तनकी की आवश्यकता नहीं होने से वादी पीडब्ल्यु 1 दीपाराम के बयान लेखबद्ध करवाकर प्रदर्श 1 मिशल बंदोबस्त प्रदर्श 2 द्वितीय सेटलमेंट की आधार वर्ष जमाबंदी, प्रदर्श 3 व 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5 जमाबंदी 2069–2072, प्रदर्श 6 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श 7 अखबार की छायाप्रति प्रदर्शित करवाये वादी ओर गवाह पेश नहीं करने से वादी शहादत बंद की गई। प्रतिवादीया संख्या 2 के अधिवक्ता शहादत पेश नहीं करना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एकपक्षीय होने से प्रतिवादीगण की शहादत बंद की जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वाद में उल्लेखित तथ्यों अनुसार वादी का वाद स्वीकार फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रदर्श 1 पुरानी मिसल बंदोबस्त संवत 2012–2031 मौजा बिछावाडी के पुराना खसरा संख्या 46, 275, 439, 443, 464 की आराजी हरजी वल्द वना कौम कलबी साकिन देह खातेदार की आई हुई है। प्रदर्श 2 द्वितीय सेटलमेंट की आधार वर्ष जमाबंदी अनुसार नये खसरा नम्बर 156, 158, 349, 356 जुमले रकबा 9.13 हैक्टेयर भूमि वागा वल्द हरजी कौम कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 3 व 4 मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराना खसरा संख्या 46, 275 मीन से नवीन खसरा नंबर 156 रकबा 1.23 हैक्टयर, 46 मीन से नवीन खसरा नम्बर 158 रकबा 4.78 हैक्टेयर, 46

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मीन से नवीन खसरा नंबर 349 रकबा 2.97 हैक्टेयर 275 से नवीन खसरा नम्बर 356 रकबा 0.15 हैक्टयेर सृजित हुए है। प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2069— 2072 के खेत खसरा संख्या 156, 158, 349, 356 जुमले रकबा 9.13 हैक्टयेर भूमि वागा वल्द हरजी कौम कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है।

4. इस प्रकार प्रदर्श 1 मिसल बंदोबस्त व प्रदर्श 3 व 4 मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी हरजी वल्द वना के नाम दर्ज थी, जो वादी दीपाराम के दादा हरजी की होने से उक्त आराजी वादी की पैतृक संपति है तथा वादी दीपाराम व प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी, प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम के पुत्र व पत्नी है तथा वादी ने वाद में यह भी बताया है कि हमारे पिता वागाराम का विगत 25 वर्षो से कोई अता पता नही होने से वागा के स्थान पर वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद के समर्थन में प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी ने भी इकबालीया जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पति करीब 31 वर्ष पूर्व गुम हो गये थे अभी तक उनका कहीं पर अता—पता नहीं है तथा वादी के वाद का पुरी तरह से समर्थन कर वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम खातेदारी घोषणा करावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम की तलवी प्रदर्श 7 अनुसार अखबार में इस्तहार जारी करवाकर करवाई है इनके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर नहीं होने इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है इस प्रकार उपरोक्तानुसार वादी के वाद का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है तथा वादी दीपाराम व प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम के पुत्र/पत्नी तथा वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी संपति होने से तथा वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 ने अपने दावे व जवाब दावे में प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम कहीं वर्षो पूर्व गुम होने से वादग्रस्त आराजी हमारे नाम घोषित करवाने का निवेदन किया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का स्वीकार योग्य है।

—:: आदेश ::—

5. वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरापुरी पटवार हल्का बिछावाडी के खेत खसरा संख्या 156 रकबा 1.23 हैक्टेयर, 158 रकबा 4.78 हैक्टेयर, 349 रकबा 2.97 हैक्टेयर 356 रकबा 0.15 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.13 हैक्टेयर भूमि में वागा पुत्र हरजी कौम कलबी साकिन देह खातेदार का नाम हटाया जाकर वादी दीपाराम के नाम 1/2 हिस्से की व प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है। पक्षकारान् अपना— अपना खर्च वहन करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सर—ए—इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

1. दीपाराम पुत्र वागाराम कौम कलबी, निवासी राजेश्वरपुरा, तहसील सांचौर जिला जालौर।

वादी.......

1. वागाराम पुत्र हरजी कौम कलबी, निवासी राजेवश्रपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
2. मावीदेवी पत्नी वागाराम कौम कलबी, निवासी राजश्वेरपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालौर

प्रतिवादीगण.........

अन्तर्गत धारा 40,88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 04/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री सगताराम उपस्थित, प्रतिवादीया संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी उपस्थित। मौजा अमरापुरी पटवार हल्का बिछावाडी के खेत खसरा संख्या 156 रकबा 1.23 हैक्टेयर, 158 रकबा 4.78 हैक्टेयर, 349 रकबा 2.97 हैक्टेयर 356 रकबा 0.15 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.13 हैक्टेयर भूमि में वागा पुत्र हरजी कौम कलबी साकिन देह खातेदार का नाम हटाया जाकर वादी दीपाराम के नाम 1/2 हिस्से की व प्रतिवादीया संख्या 2 मावीदेवी के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।
बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर
(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	स्टाम्प अर्जी	[illegible]	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	[illegible]	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	[illegible]	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	5	00	मौजाना	1	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)